

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/निप्र/डी-1/22709/मैन/प्र.वा./2018-19/362

दिनांक : 24.07.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक।

विषय:- सत्र: 2019-20 की दो दिवसीय सत्रारम्भ संस्था प्रधान वाक्पीठ संगोष्ठी को ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाने बाबत।

प्रसंग :- शासकीय निर्देश क्रमांक : प.32(1)शिक्षा-1/2000 पार्ट-4 जयपुर, दिनांक : 23.07.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों के पुनर्गठन उपरान्त एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापन के परिदृश्य में संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन प्रासंगिक शासकीय निर्देश पत्र द्वारा ब्लॉक स्तर पर करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में लेख है कि शिविरा पंचाग : 2019-20 में पूर्व प्रदत्त निर्देशों के स्थान पर जिला क्षेत्राधिकार में दो दिवसीय सत्रारम्भ संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन दिनांक : 22-27 जुलाई, 2019 के स्थान पर विस्तारित अवधि 10 अगस्त-2019 तक सम्पूर्ण जिले में अग्रांकित निर्देशानुसार ब्लॉक स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करें :-

1 वाक्पीठ संगोष्ठी में सहभागिता :-

ब्लॉक स्तर के समस्त संस्था प्रधान (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय) एक साथ दो दिवसीय वाक्पीठ में सम्मिलित होंगे। प्रत्येक ब्लॉक पर न्यूनतम 150 व अधिकतम 300 विद्यालयों की संगोष्ठी आयोजित की जाए अर्थात् यदि किसी ब्लॉक में कम विद्यालय है, तो दो ब्लॉक को मिलाकर एवं अधिक है, तो सुविधानुसार एक से अधिक समूह में भी संगोष्ठी आयोजित किए जाने पर विचार किया जा सकता है। वाक्पीठ कार्यकारणी का गठन भी ब्लॉक स्तर पर किया जाए।

2 वाक्पीठ संगोष्ठी में सम्मिलित किए जाने वाले वार्ता के विषय :-

I. वर्तमान में चल रहे नवाचार :

- सामुदायिक बालसभा का प्रभावी आयोजन।
- राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल की जानकारी।
- भामाशाह/सीएसआर/ज्ञान संकल्प पोर्टल की सम्पूर्ण जानकारी।
- शाला सम्बल योजना, ब्लॉक रैंकिंग व विद्यालय रैंकिंग दिशा - निर्देश।
- हरित राजस्थान (वृक्षारोपण अभियान)।
- शगुनोत्सव-विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का बाह्य मूल्यांकन दल द्वारा सत्यापन के दिशा - निर्देश।
- शाला सिद्धि कार्यक्रम।
- शाला दर्पण पोर्टल (एमआईएस)।
- समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियां, प्रावधान व प्रक्रिया पर विस्तृत वार्ता।

II. प्रशासनिक विषय :-

- लेखा एवं संस्थापन।
- विभागीय गतिविधियां व कार्यालयी प्रक्रिया।
- विद्यार्थियों व बालिकाओं हेतु सरकार की लाभकारी योजनाएं।

III. शैक्षिक विषय :-

- कक्षा-कक्ष/विद्यालय अवलोकन, शैक्षिक समर्थन व प्रतिपुष्टि।
- परीक्षा परिणाम उन्नयन, बोर्ड कक्षाओं हेतु मासिक टैस्ट योजना।

- सहशैक्षिक गतिविधियां (स्काउट गाइड प्रवृत्ति, यूथ एवं ईको क्लब, विद्यालय सेफ्टी एवं सुरक्षा, विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियां आदि)
 - इसके अतिरिक्त समसामयिक एवं सार्थक विषयों पर क्षेत्र की आवश्यकतानुसार वार्ताएं आयोजित की जाए।
- 3 **ब्लॉक के श्रेष्ठ विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुतीकरण :-** Sharing of Best Practices पर भी सत्र का आयोजन किया जाए। कम से कम 5 संस्था प्रधानों को अवसर प्रदान किया जाए। ये Best Practices नामांक, सामुदायिक सहभागिता, नवाचार, शैक्षिक उन्नयन, बालिका सशक्तिकरण, खेलकूद आदि भिन्न – भिन्न उपलब्धियों पर होनी चाहिए।
- 4 **खुले सत्र का आयोजन :-**
- वाक्पीठ के दूसरे दिन खुला सत्र आयोजित किया जाए। इस सत्र में संस्था प्रधानों की जिज्ञासाओं, समस्याओं का चुनौतियों पर चर्चा एवं समाधान प्रस्तुत किए जाएं।
 - संस्था प्रधानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जाए। इन प्रश्नों के जबाब विशेषज्ञों द्वारा तैयार करवाकर शाला दर्पण पोर्टल (स्टाफ कॉर्नर) पर प्रसारित किए जाएं।
- 5 **वाक्पीठ हेतु पूर्व तैयारी :-**
- चूंकि वाक्पीठ ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जा रही है, अतः मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित कर वाक्पीठ की योजना बनाई जाए।
 - उक्त बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाने वाली वाक्पीठों की पृथक-पृथक तिथियां इस प्रकार नियोजित की जाए कि जिला स्तरीय अधिकारी-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रधानाचार्य, डाईट प्रत्येक ब्लॉक में उपस्थित होकर सम्बलन प्रदान कर सकें।
 - उक्त बैठक में विशेषज्ञ/वार्ताकारों के पैनल तैयार किए जाएं।
 - श्रेष्ठ वार्ताकारों का एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
 - वाक्पीठ संगोष्ठी स्थल का चयन आवागमन के साधन एवं आवश्यक भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर किया जाए।
- 6 **वाक्पीठ आयोजन :-**
- वाक्पीठ में समयबद्धता की पूर्ण पालना हो ताकि दो दिवसीय संगोष्ठी के समय का अधिकतम व अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
 - ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी पूर्णकालिक रूप से वाक्पीठ में उपस्थित रहें।
 - जिला स्तरीय अधिकारी भी वाक्पीठ में अपनी सहभागिता आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।
 - वार्ता के दौरान Power Point Presentation को प्राथमिकता दी जाए।
 - वार्ताकारों द्वारा वार्ता में प्रस्तुत सामग्री की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। वार्ता के उपरान्त यह सामग्री संस्था प्रधानों को ई-मेल व व्हाट्सएप्प पर उपलब्ध करवा दी जाए।
 - वाक्पीठ की महत्वपूर्ण गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए। इससे श्रेष्ठ गतिविधियों को शेयर किया जा सकेगा एवं सहभागियों में अनुशासन भी बना रहेगा।
- 7 **अनुवर्तन :-**
- वाक्पीठ संगोष्ठी के आयोजन उपरान्त एक सप्ताह की समयावधि में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा वाक्पीठ प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

में पदस्थापित सहायक निदेशक द्वारा समस्त ब्लॉक कार्यालयों से प्राप्त वाक्पीठ प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त जिले का समेकित एवं संक्षिप्त प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा अधीनस्थ जिलों से प्राप्त वाक्पीठ संगोष्ठी प्रतिवेदन में प्राप्त प्रश्नों, अभिशंसाओं व चुनौतियों से सम्बन्धित विषयवस्तु का समेकन कर स्वयं के स्तर पर अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर निस्तारण योग्य यथा सम्भव समाधान किया/करवाया जाएगा। संभागीय संयुक्त निदेशक द्वारा वाक्पीठ संगोष्ठियों के आयोजन में संभाग क्षेत्राधिकार से उक्तानुसार प्राप्त महत्वपूर्ण विषयों एवं मुद्दों से सम्बन्धित संक्षिप्त प्रतिवेदन मय अभिशंसा एक माह की समायावधि में आवश्यक रूप से निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर/राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) को मण्डल क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की सुनिश्चित क्रियान्विति हेतु।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान को ब्लॉक स्तर पर वाक्पीठ आयोजन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों से समुचित सम्पर्क एवं समन्वय की सुनिश्चितता हेतु।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।



'उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर